

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी
प्रधान सचिव

सेवा में,

प्रशासक, स्वर्णरेखा बहूददेशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर
मुख्य अभियंता, स्वर्णरेखा परियोजना, चांडिल कॉम्प्लेक्स / ईचा-गालुडीह कॉम्प्लेक्स आदित्यपुर,
जमशेदपुर / मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची
मुख्य अभियंता, रुपांकण, समग्र योजना और जल विज्ञान, राँची
मुख्य अभियंता, यांत्रिक, राँची / संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित कार्यपालक
अभियंता / संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखण्ड।

राँची, दिनांक : १२-३-१३

विषय :- वित्तीय वर्ष २०१२-१३ के मांग संख्या- ४९ जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-२७००-वृहद सिंचाई उप मुख्य शीर्ष-०१- वृहद सिंचाई-वाणिज्यिक, लघु शीर्ष-००१ निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-०२-स्वर्णरेखा बाँध परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१२-२०१३ में बजट मुख्य शीर्ष २७००- वृहद सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-१ में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
१	२	३	४	५
१.	मांग संख्या ४९ जल संसाधन विभाग / २७००-वृहद सिंचाई	०१ वृहद सिंचाई-वाणिज्यिक	००१-निदेशन तथा प्रशासन / ०२-स्वर्णरेखा बाँध परियोजना	-५.६९५

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि - ऋणात्मक

रुपये पाँच लाख उनहत्तर हजार पाँच सौ मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष २०१२-२०१३ के बजट उपबंध ₹ 12564.29 लाख एवं प्रथम अनुपूरक (वित्त विभाग का पत्रांक ११/बी० टी० ई०- ०४/२०१२/३१०/बजट दिनांक १७.०९.१२) से प्राप्त राशि ₹ 21.14 लाख सहित कुल ₹ 12585.43 लाख (एक सौ पचीस करोड़ पचासी लाख तीनालीस हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८ एवं १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक १५.११.२००० के पूर्व का वेतनादि या अन्य दायित्व का भुगतान बिना विभागीय अनुमति के नहीं किया जाय।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

(ओंकार नाथ)
सहा. अभि.(जयप्रकाश भट्टाचार्या)
उप सचिव (अभि.)(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य के साथ अधियाचना प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वितन एवं भत्ता को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरत प्रत्यर्पण कर दिया जाय।
10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा।
11. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
12. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 25 मार्च 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

लि
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

223

रॉची, दिनांक :- 12-3-13

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/जमशेदपुर/चाईबासा/सरायकेला-खरसॉवा/घाटशीला/देवघर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

लि
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

223

रॉची, दिनांक :- 12-3-13

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांखिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

४०
(आंकार नाथ)
सहा. अभि.

६१
(जयप्रकाश भट्टाचार्य)
उप सचिव (अभि.)

५५५५

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

८८
(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

लि
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

परिशेष I

गांग संख्या—49—जल संसाधन विभाग
मुख्य शीर्ष—2700—वृहद सिंचाई / उप मुख्य शीर्ष—01—वृहद सिंचाई वाणिज्यिक
लघु शीर्ष—001—निदेशन तथा प्रशासन / उप शीर्ष—02—स्वर्णरेखा बौद्ध परियोजना

पत्रांक 223 दिनांक 12-3-13 का अनुलनक

क्रम सं	कार्यालय का नाम	विषय कोड	विस्तृत शीर्ष—01—देता एवं मते						विस्तृत शीर्ष—03—प्रशासनिक व्यय						विस्तृत शीर्ष—04— मोटरायरिंग संख्या	विस्तृत शीर्ष—05— शीर्ष—06— दरिया यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किरणाया दरै, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरानाश	वर्द्धा	विद्युत व्यय	मोटरायरिंग संख्या	विद्युत प्राप्ति	विस्तृत शीर्ष—07— शीर्ष—08— अन्य व्यय	कुल योग	अभियुक्त
			वेतन	जीवन यापन भत्ता	योग	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि	एलटी०सी०	दरिया यात्रा व्यय	विद्युत व्यय	मोटरायरिंग संख्या	विद्युत प्राप्ति	विद्युत प्राप्ति	विद्युत व्यय														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	प्रशासक स्वर्ण रेखा बहुदेशीय परिं आदित्यपुर जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	33.000 0.000 33.000	24.000 0.000 24.000	57.000 0.000 57.000	0.000 0.000 0.000	0.300 0.000 0.300	3.060 0.000 3.060	1.400 0.000 1.400	0.000 0.000 0.000	0.750 0.050 0.800	0.200 0.200 0.200	0.500 0.000 0.500	3.000 0.000 3.000	0.250 0.000 0.250	66.460 0.050 66.510											
2	खरकई नहर अंचल, आदित्यपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	90.500 3.000 93.500	52.490 3.150 55.640	142.990 6.150 149.140	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.495 0.600 0.495	0.600 0.000 0.600	0.000 0.000 0.000	0.150 0.200 0.150	0.200 0.000 0.200	0.000 0.000 0.000	0.800 0.000 0.800	0.100 0.000 0.100	145.535 6.150 151.685											
3	समय योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल—2 देवधर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	128.000 -52.820 75.180	66.210 -20.380 45.830	194.210 73.200 121.010	0.000 0.000 0.000	0.300 -0.200 0.100	1.310 0.000 1.310	0.400 0.000 0.400	0.000 0.000 0.000	0.200 -0.050 0.150	0.175 -0.075 0.100	0.000 0.000 0.000	0.800 0.000 0.950	0.050 -0.050 0.000	197.445 -73.425 124.020											
4	स्वर्ण रेखा नहर अंचल जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	92.480 -6.000 86.480	58.170 -4.000 54.170	150.650 -10.000 140.650	0.000 0.000 0.000	0.200 -0.200 0.820	0.820 0.000 0.400	0.400 0.000 0.400	0.000 0.000 0.000	0.250 0.000 0.250	0.200 0.000 0.200	0.800 0.000 0.800	0.000 0.000 0.000	0.000 -10.225 143.345	153.570											
5	अपर निदेशक भू—अर्जन एवं पुनर्वास स्वर्ण रेखा परियोजना	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	16.000 1.000 17.000	9.000 0.000 9.000	25.000 1.000 26.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.350 0.500 0.350	0.500 0.000 0.500	0.000 0.000 0.000	0.150 0.000 0.150	0.000 0.000 0.000	0.250 0.000 0.250	0.800 0.000 0.800	0.100 0.000 0.100	27.150 1.000 28.150											
6	खरकई नहर प्रमंडल, आदित्यपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	140.000 0.000 140.000	63.000 0.000 63.000	203.000 0.000 203.000	0.000 0.000 0.000	0.100 0.100 0.100	0.530 0.530 0.530	0.380 0.380 0.380	0.000 0.000 0.000	0.100 0.050 0.150	0.750 0.000 0.750	0.000 0.000 0.000	0.700 0.000 0.700	0.100 0.000 0.100	205.660 0.050 205.710											
7	खरकई नहर प्रमंडल, राजनगर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	100.050 0.000 119.360	66.060 0.000 73.370	166.110 0.000 192.730	0.000 0.000 0.000	0.200 0.200 0.300	0.300 0.300 0.380	0.380 0.000 0.380	0.000 0.000 0.000	0.100 0.000 0.100	0.700 0.000 0.700	0.300 0.000 0.300	0.700 0.000 0.700	0.250 0.100 0.250	169.040 26.620 195.660											
8	खरकई लिंक नहर प्रमंडल मुसाबानी	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	122.000 2.500 124.500	88.000 4.000 91.500	210.000 0.000 214.000	0.000 0.000 0.100	0.100 0.000 0.300	0.300 0.300 0.380	0.380 0.000 0.380	0.000 0.000 0.000	0.150 0.000 0.150	0.675 0.000 0.675	0.000 0.000 0.000	0.700 0.000 0.700	0.050 0.000 0.050	212.405 4.000 216.405											
9	रूपांकण प्रमंडल स0—3 आदित्यपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	152.000 -20.000 124.500	91.000 -25.000 89.500	243.000 0.000 214.000	0.000 0.000 0.100	0.400 -0.200 0.000	0.323 0.000 0.300	0.380 0.000 0.380	0.000 0.000 0.000	0.100 -0.050 0.000	1.000 -0.350 0.000	0.000 0.000 0.000	0.800 0.000 0.800	0.100 0.000 0.100	246.103 -45.600 200.503											
10	लघु वितरणी प्रमंडल स0—3 मासगो, जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	162.500 0.000 162.500	115.400 0.000 277.900	277.900 0.000 600	0.600 0.000 0.200	0.200 0.000 0.500	2.681 0.000 2.681	0.500 0.000 0.500	0.000 0.000 0.000	0.100 0.000 0.100	0.850 0.000 0.850	0.600 0.000 0.600	0.200 0.000 0.200	283.631 0.050 283.681												

(अंकार नाम)
साहायक आयोगी
साहायक आयोगी

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)
उप सचिव (अधिक)

(मुख्य कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अधिक)

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

69

11

क्र. सं	कार्यालय का नाम	विस्तृत शीर्ष-01—केतन एवं भारे			विस्तृत शीर्ष-02—			विस्तृत शीर्ष-03—प्रशासनिक व्यय			विस्तृत शीर्ष-04— प्रोटक्यूलिंग मोटरगाड़िया इंधन एवं प्रमाणिति			राशि लाख रुपये में				
		वेतन	जीवन यापन मत्ता	योग	पूर्व का बकाया वेतनादि	एलटीटीसी०	प्रत्यय	देवीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किया दरे, कर	आपूर्ति एवं समग्री	दूरसंच	वर्दी	विद्युत व्यय	कुल योग	अभियुक्त		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	लघु वितरणी प्रमडल सं-10 धाटशिला	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	136.870 6.000 142.870	88.590 7.000 95.590	225.460 13.000 238.460	0.000 0.000 0.000	0.300 0.000 0.300	0.380 0.000 0.380	0.000 0.000 0.000	0.120 0.000 0.120	1.075 0.000 1.075	0.000 0.000 0.000	0.030 0.000 0.030	227.365 13.000 240.365				
12	विशेष दूर-अर्जन पदा०-१ स्वर्ण रेखा परियोजना यानगो-जमशोदपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	117.000 3.000 120.000	79.520 5.000 81.520	196.520 0.000 0.000	0.300 0.000 0.300	0.500 0.000 0.500	0.400 0.000 0.400	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.300 0.000 0.300	0.200 0.000 0.200	0.800 0.000 0.800	0.300 0.000 0.300	199.320 5.000 204.320			
13	सिंचार्ह प्रमंडल-गालडौड अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	80.000 41.120 121.120	48.000 23.920 71.920	128.000 65.040 193.040	0.000 0.000 0.000	0.300 0.000 0.300	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.050 0.020 0.070	0.375 0.375 0.750	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	129.025 65.635 194.660			
14	स्वर्ण रेखा बाध प्रमंडल संख्या-१, धाटशिला	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	92.300 1.000 93.300	55.700 1.000 56.700	148.000 2.000 150.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.400 0.200	0.400 0.000 0.400	0.000 0.000 0.000	0.100 0.000 0.100	1.000 0.000 1.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 1.000	1.000 2.000 1.000	151.080 2.000 153.080			
	अतिरिक्त आवंटन का योग		-1.890	-3.500	-5.390	0.000	-0.400	0.000	0.000	0.000	-0.075	0.000	0.150	0.000	-5.695			

नोट: वित्त विभाग के पत्रांक 11/विविध-14/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से विपत्रीकरण के आधार पर ही मुआतान अनुमत्य है।


कुल अतिरिक्त आवंटित राशि - ऋणात्मक

रुपये पैसे वाला लाख उनहतार हजार पौंच सौ मात्र



(जयप्रकाश भट्टाचार्य)
उप सचिव (अभि.)

(ओकार नाथ)
सहायक अभियंता



(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव



12-३-१३